उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-78/2019/1052/92-2-2019-191(जांच)/2015
लखनऊ :: दिनांक:: 31 मई, 2019

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद-मिर्जापुर के लोहिया समग्र ग्राम खैरिहट कला में डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनातंर्गत शिवनाथ के घर से कूप जगत तथा श्याम सुंदर, घनश्याम, सन्तोष, रमेश के घर एवं हैण्ड पम्प से होते हुये मेन सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन तथा कूप जगत से कमला मास्टर के घर तक की गलियों के निर्माण कार्य में मुख्य प्राविधिक परीक्षक की जांच आख्या में वित्तीय एवं भौतिक प्रगति संतोषजनक नहीं पायी गयी। जिससे स्पष्ट है कि जब श्री सुरेश चन्द्र, अधिशासी अभियन्ता द्वारा ग्रामीण अभियन्त्रण प्रखण्ड मिर्जापुर में अधिशासी अभियन्ता के पद का कार्यभार देखा जा रहा था, तब उनके द्वारा डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अंतर्गत कार्यों के संपादनार्थ उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों/शासनादेशों/वित्तीय नियमों के अनुरूप गुणवत्तापूर्वक कार्य संपादित नही कराया गया तथा अधिशासी अभियन्ता के रूप में उनको सौंपे गये कार्यों एवं दायित्वों का निर्वहन ठीक प्रकार से नही किया गया जिसके लिए श्री सुरेश चन्द्र, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-मिर्जापुर के विरूद्ध शासन के पत्र संख्या-2270/92-2-2016-191(जांच)/2015, दिनांक 02.01.2017 द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-10(2) के अंतर्गत स्पष्टीकरण निर्गत करते हुए निर्धारित समयावधि में बचाव उत्तर उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

2- अपचारी अधिकारी श्री सुरेश चन्द्र, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-मिर्जापुर का स्पष्टीकरण निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-2004/ग्रा0अ0वि0/स्था0-1/फा0सं0-100/समूह'क'/व्य0प0-श्री सुरेशचन्द्र, अधी0अभि0/18-19, दिनांक 26-12-2018 के माध्यम से उपलब्ध कराया गया, जो निम्नवत् है:-

"श्री सुरेश चन्द्र ने अपने स्पष्टीकरण मे उल्लेख किया है कि प्राविधिक परीक्षक की जांच रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या-20 से 21 पर उल्लिखित विवरण शिवनाथ के घर से कूप जगत तथा श्याम सुन्दर के घर से रमेश के घर तथा हैण्ड पम्प से होते हुये मेन सी0सी0 रोड तक वाली गली में ब्रिक वर्क 1:4 में 50 प्रतिशत ईंट द्वितीय श्रेणी के लिये ब्रिक वर्क में शासकीय क्षति 713.00 आंकलित की गयी है, तथा गली में किया गया पी0सी0सी0 17.35 घनमी0 में शासकीय क्षति रू0 4,479.00 आंकलित की गयी है तथा कुल किया गया लीन कंक्रीट 1:6:12 का कार्य 17.35 घन मी0 दर्शाया गया है। के0सी0 ड्रेन की लीन कंक्रीट 1:6:12 का कार्य स्ट्रेन्थ में कमजोर पाये जाने के कारण शासकीय क्षति रू0 3,145.00 आंकलित की गयी है, जबकि जांच रिपोर्ट के पेज संख्या-14 क्रमांक-9 के अनुसार उक्त गली में के0सी0 ड्रेन का कार्य कराया ही नही गया है, तो ईंट द्वितीय श्रेणी होने हेतु शासकीय क्षति किस प्रकार आंकलित की गई। इस प्रकार टी0ए0सी0 जांच त्रुटिपूर्ण है, इस संबंध में अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल विन्ध्यांचल मीरजापुर द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को रिपोर्ट दी गयी थी कि टी0ए0सी0 की जांच त्रुटिपूर्ण है। जब शिवनाथ के घर से कूप जगत तथा श्याम सुन्दर के घर से रमेश तथा हैण्डपम्प होते हुये मेन सी0सी0 रोड में के0सी0 ड्रेन का कार्य नहीं कराया गया है। यह अपने आप में जांच रिपोर्ट के पृष्ठ-14 के क्रमांक 09 के अनुसार है। टी0ए0सी0 द्वारा की गयी जांच मान्य नहीं है। इस प्रकार बगैर के0सी0 ड्रेन बनाये उसके नीचे ईंट कि द्वितीय श्रेणी का कार्य पाया जाना किस प्रकार उचित है। टी0ए0सी0 द्वारा जो शासकीय क्षति आंकलित की गयी है वे सभी परीक्षण दृष्टि परीक्षण के आधार पर है। जबकि शासकीय क्षति आंकलन करने हेतु प्रयोगशाला से किसी प्रकार का परीक्षण नहीं कराया गया। इस प्रकार टी0ए0सी0 द्वारा आंकलित शासकीय क्षति आधारहीन है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

श्री सुरेश चन्द्र द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा निदेशालय एवं शासन के निर्देशानुसार कार्यों का निरीक्षण समय-समय पर किया गया है एवं संबंधित सहायक अभियन्ता तथा अवर अभियन्ताओं को कार्यों की गुणवत्ता उच्च स्तर की बनाये रखने हेतु निर्देश दिये गये है। निदेशालय/शासन स्तर से निर्गत निर्देश/शासनादेश के अनुसार कराये गये कार्यों का प्रयोगशाला से परीक्षण भी कराये गये है। परीक्षण आख्या में किया गया कार्य संतोषजनक है। उनके द्वारा संपादित कराये जाने वाले कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं की गयी है।"

3- शासन स्तर से निर्गत स्पष्टीकरण, अपचारी अधिकारी का उत्तर व अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त पाया गया कि श्री सुरेश चन्द्र, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-मिर्जापुर ने डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनातंर्गत कार्यों का संपादन उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों/शासनादेशों/वित्तीय नियमों के अनुरूप गुणवत्तापूर्वक कराया गया है तथा अधिशासी अभियन्ता के रूप में उनको सौंपे गये कार्यों एवं दायित्वों का निर्वहन ठीक प्रकार से किया गया है। अतः श्री सुरेश चन्द्र, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-मिर्जापुर के विरूद्ध शासन के पत्र संख्या- संख्या-2270/92-2-2016-191(जांच)/2015, दिनांक 02.01.2017 द्वारा निर्गत स्पष्टीकरण को एतद्द्वारा समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूद्दीन
अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या-78/2019/1052(1)/92-2-2019 तददिनांक।</u>

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ ।
2- श्री सुरेश चन्द्र, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-मिर्जापुर सम्प्रति अधीक्षण अभियन्ता, परिमण्डल आजमगढ़ द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in